

FORM NO. III

APP-A
Orim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)


2022/225

जज अदालत अति. जिला कोर्ट जयपुर मुकाम जयपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर बनाम संदीप कुमार (हावसरी)

किस्म मुकदमा खाद्य सुरक्षा नं. 29 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>7/7/22</p> <p>10.08.2022</p>	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 एव नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/8/2022 को पेश हो।</p> <p><i>अति. जिला कोर्ट जयपुर</i></p> <p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने पावर हाउस के सामने, बालाजी स्टेण्ड छावसरी झुन्झुनू में मै0 ओला मिल्क प्रोडक्ट के नाम से दुकान कर रखी है जहां वह घी बनाकर बेचता है। अनावेदक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह शुद्ध घी तैयार करता है उसने घी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। अतः उस पर कम से कम जुर्माना किया जावे।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1057/एक्ट/2022/1102/ दिनांक 24.03.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी सब-स्टेण्डर्ड (Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 ओला मिल्क प्रोडक्ट पर घी का बेचान करता है तथा अनावेदक दुकान मालिक है एवं स्वयं घी तैयार कर बेचान करता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी सब-स्टेण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री संदीप कुमार पुत्र श्री नेहरू राम जाट, मै0 ओला मिल्क प्रोडक्ट, पावर हाउस के सामने, बालाजी स्टेण्ड छावसरी झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रुपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	